न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी,

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 288 सन 2026

जगदीश पुत्र धौलियाराम, आयु 53 साल, निवासी नट बस्ती (रायसिस नंगला), पुलिस थाना सदर, जिला अलवर(राज.)

----**प्रार्थी/अभियुक्त**

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

--**विपक्षी**

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75/2025-2026, थाना आबकारी निरोधक दल, अलवर पूरब, अपराध अन्तर्गत धारा 16/54, 54(A) राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितः-

1- श्री आमीन खां, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 16.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त जगदीश की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75/2025-2026, पुलिस थाना आबकारी निरोधक दल, अलवर पूरब में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 08.03.2026 को सतीश कुमार प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल अलवर पूर्व मय जाब्ता दौराने गश्त मुखबीर द्वारा मिली सूचना के आधार पर शालीमार कॉलोनी की आम सड़क पर नाकाबन्दी कर जगदीश पुत्र धोलियाराम के कब्जे से एक मोटर साईकिल नंबर आरजे 02 बीटी 7931 की टंकी पर आगे रखे एक प्लास्टिक कट्टे में रखे हुए कुल 40 पॉलीथीन पाऊच, प्रत्येक पाऊच में भरी हुई करीब 500-500 एमएल हथकड़ शराब कुल करीब 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद हुई। मौके पर हथकड़ शराब व मोटर साईकिल को जब्त किया व अभियुक्त जगदीश को मौके से गिरफतार कर थाने आए और मुकदमा दर्ज करवाया.....इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75/2025-2026, पुलिस थाना आबकारी निरोधक दल अलवर पूर्व, में धारा 16/54, 54(A)

राजस्थान अबकारी अधिनियम में दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ की गई। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त जगदीश को दिनांक 08.03.2026 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 09.03.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथी/अभियुक्त दिनांक 08.03.2026 से लगातार अभिरक्षा में चल रहा है। प्राथी/अभियुक्त के विरूद्ध गलत रूप से झूठा आरोप लगाया गया है। प्राथी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है। उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम से संबंधित अन्य चार मामले भी दर्ज हैं। प्राथी/अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद हुई है। अतः जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध पूर्व में 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐं	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	71/2013-14 थाना आबकारी अलवर पूर्व	-	-	16/54 राज. आबकारी अधिनियम	-	-	-
2.	159/1997 पुलिस थाना शिवाजी पार्क	-	-	16/54 राज. आबकारी अधिनियम	-	-	-
3.	95/2016-17 थाना आबकारी अलवर पूर्व	-	-	16/54 राज. आबकारी अधिनियम	-	-	-
4.	104/2017-18 थाना आबकारी अलवर पूर्व	-	-	16/54 राज. आबकारी अधिनियम	-	-	-

7- केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.03.2026 से लगातार अभिरक्षा में है। प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

8- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त जगदीश पुत्र धौलियाराम, आयु 53 साल, निवासी नट बस्ती (रायसिस नंगला), पुलिस थाना सदर, जिला अलवर(राज.) की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी सन्तुष्टि बाबत पचास हजार रूपए का मुचलका एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें पेश कर तस्दीक करवा लेवे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर